प्रकरण संख्या 39/2017 जगजी बनाम हुरता के बजाय हलिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 15 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 63(4), 19, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेण्डनानी, तहसील बागीदौरा में खाता संख्या 10 की आराजी नंबर 525 से 533, 535 कुल किता 10 रकबा 4.23 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादीगण का अपने बाप–दादाओं के समय से अर्थात 100 से भी अधिक वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त हाल आराजी नंबरों के साबिक आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जो संवत् 2011 में वादीगण के पूर्वज वेस्ता, हीरा के आधिपत्य में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। इसी प्रकार संवत् 2012 से 2020 तक लगातार वादीगण के पूर्वज वेस्ता, मखजी, हीरा शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। मूलखातेदार कुशाला पिता वक्ता संवत् 2010 के पूर्व ही ग्राम सेण्डनानी छोड़कर चला गया था, तब से कुशाला व उसकी संताने दूसरे गांव में निवास करते हैं एवं उन्होंने कभी भी प्रश्नगत भूमि पर काश्त नहीं की इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है तथा वादीगण धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 4 दिनांक 21.06.2006 को अपने पति व अन्य के साथ आकर बताया कि हमने जमीन खरीद ली है, आप टापरे खाली कर दो नही तो जान से मार देंगे एवं जबरन भूमि से बेदखल कर देंगे, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 28.06.2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 3 [illegible] दिनांक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

27.09.2017 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार कटारा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट व उनके अभिभाषक द्वारा कई बार चाही गयी, किन्तु कोई जानकारी नहीं दी गयी। पीठासीन अधिकारी से निवेदन किये जाने पर प्रथम बार दिनांक 02.08.2017 को जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य जिरह हेतु नियत था, किन्तु बिना जिरह के तथा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर उनकी अनुपस्थिति में डिक्री जारी कर दी गयी, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व अभियान में प्रकरण दोनों पक्षों की सहमति व राजीनामें के आधार पर ही रखे जाते हैं, जबकि प्रकरण में किसी प्रकार की सहमति अथवा राजीनामा पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ है। विवादित भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का अपने पिता के समय से चला आ रहा है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व उनके पूर्वाधिकारियों का कभी कब्जा नहीं रहा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान [illegible]। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible]

सदस्य अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सत्यमेव जयते, उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 15 को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेकार्डेड खातेदार प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होकर विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 अनुसार प्रकरण जिरह हेतु दिनांक 19.06.2017 नियत था। दिनांक 19.06.2017 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.06.2017 नियत कर प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मात्र प्रतिवादी संख्या 4 सुशीला की उपस्थिति में निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलान्ट/वादीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 176/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री 28.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/वादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति ...)
सं. प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested